

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादी मुकदमा श्री निरहू राम पुत्र नौरंग राम साकिन घटिया, थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक 05.01.2022 को रात्रि लगभग 12:00 बजे की है। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के संजय पुत्र विजई, मोनू पुत्र बनारसी, रवि कुमार पुत्र घुरहू राम एक राय होकर मेरी रहाईशी मण्डई में आग लगा दिये जिससे कीमती सामान एवं एक गाय गर्भावस्था में थी गम्भीर रूप से जल गयी और दवा इलाज के दौरान उक्त गाय की मृत्यु हो गयी। और मेरी मण्डई से सटी हुई मेरे भाई सिरहू की भी मण्डई जल गयी। जिसमें सिरहू कि भी एक गाय जल गयी थी और इलाज के दौरान एक माह बाद वह भी मर गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 246/22 धारा 436/429/504/506 भादवि 1.संजय पुत्र विजई 2.मोनू पुत्र बनारसी 3.रवि कुमार पुत्र घुरहू राम सा0 घटिया थाना मेहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

1. **गिरफ्तारी की विवरण** – दिनांक-30.07.2022 को थानाध्यक्ष बसन्तलाल के नेतृत्व में उ0नि0 उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.संजय पुत्र विजय राम 2.मोनू पुत्र बनारसी साकिनान घटिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम घटिया से समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 246/22 धारा 3429/436/504/506 भादवि थाना मेहनगर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त**गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. संजय पुत्र विजय राम उम्र करीब 22 वर्ष
2. मोनू पुत्र बनारसी उम्र करीब 24 वर्ष साकिनान घटिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह का0 कमलेश कुमार मौर्य व का0 सत्यम कुशवाहा

थाना- मेंहनगर**तमंचे के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार**

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- आज दिनांक 30/7/22 को उ.नि. अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा ग्राम करनेहुवा तिराहे पर मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टिसौरा के बाहर डीह बाबा के पास पिपल के पेड के नीचे ग्राम टिसौरा का रहने वाला मनबढ प्रवृत्ती तथा अपराधी प्रवृत्ती का गोलू पुत्र राधेश्याम सरोज बैठा हुआ है उसके पास नाजायज असलहा है कुछ दिन पूर्व इसके द्वारा फेसबुक तथा वाट्सअप पर अवैध तमंचे के साथ अपनी फोटो भी वायरल किया था यदि जल्दी किया जाय तो नाजायज असलहे के साथ पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँच कर एक व्यक्ति पीपल के पेंड के पास से पकड़ा गया, जिससे नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम गोलू पुत्र राधेश्याम सरोज उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम टिसौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी ली गयी तो जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 247/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 247/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना- मेंहनगर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।**गिरफ्तार अभियुक्त –**

गोलू पुत्र राधेश्याम सरोज उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम टिसौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. अभिषेक सिंह मय हमराह हेका0 जितेन्द्र कु0 अवस्थि का0 अमित कुमार यादव थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज
छेड़खानी के अभियोग में एक गिरफ्तार

दि 29.07.22 को उ०नि० सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 284/22 धारा 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शनि सेठ पुत्र रामानन्द सेठ निवासी ग्राम बुढ़ावेहिसामुद्दीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ तपेश्वरी इंटर कालेज ग्राम बुढ़ावेहिसामुद्दीनपुर जाने वाले मोड़ के पास से समय करीब 07.30 बजे शाम में हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 284/22 धारा 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त -

शनि सेठ पुत्र रामानन्द सेठ निवासी ग्राम बुढ़ावेहिसामुद्दीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ०नि० सुधीर पाण्डेय मय हमराह का० नीतीश मल्ल व का० अरविन्द यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना- रौनापार
दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - वादी थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी की बहन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, को राजेन्द्र साहनी द्वारा दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 184/2022 धारा 376 भादवि बनाम (1) राजेन्द्र साहनी s/o रामचिन्त साहनी निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार आजमगढ़ के पंजीकृत कराया था।

गिरफ्तारी का विवरण..... थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स के दिनांक 30.07.2022 को गोसाईं तिराहा से अभियुक्त राजेन्द्र साहनी s/o रामचिन्त साहनी निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार आजमगढ़ को समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसको मा० न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 184/22 धारा 376 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1. मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

राजेन्द्र साहनी s/o रामचिन्त साहनी निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष श्री अखिलेश चन्द्र पाण्डेय रौनापार जनपद आजमगढ़

का० सत्येन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

रि०का० राजन कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक- 30.07.2022 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०- 03 आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 330 व 338 सन् 2013 अंतर्गत धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुखराम पुत्र वंशी निवासी चकिया दामोदरपुर, थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक- 30.07.2022 को एसजे/एफटीसी 2 आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 623 सन् 2006 अंतर्गत धारा 498-ए, 304 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुदर्शन पाण्डेय पुत्र रामानन्द पाण्डेय, 2. गिरिजा देवी पत्नी रामदरश पाण्डेय, साकिनान माखनपट्टी थाना- निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।